(Authoritative English text of the Government notification number FDS-A (3)-3/2025, Dated 23.02.2026, Shimla-171002 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Food, Civil Supplies and Consumer Affairs

No. FDS-A (3)-3/2025 Dated: Shimla-2 the 23rd February, 2026

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act No 1 of 2010) and in consultation with the Government of India, the Governor of Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 notified vide this Department notification No. FDS-A(3)-1/2004-Loose, dated 15.11.2011 and published in Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh dated 16.11.2011 for carrying out the provisions of the Act ibid and the same are hereby published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh for the information of the general public ;

If any person, likely to be affected by these draft rules has any objection(s) or suggestion(s) to make with regard to the said draft rules, he may send the same to the Director, Food, Civil Supplies & Consumer Affairs, SDA Complex, Block No 42 Kasumpti, Shimla-171009 within a period of thirty days from the date of publication of the draft rules in the Rajpatra(e-Gazette), Himachal Pradesh.

The objection (s) or suggestion (s), if any received within the period specified above shall be taken into consideration by the State Government, before finalizing these draft rules, namely :-

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Amendment Rules, 2026.
   (2) They shall come into force from the date of their publication in the e-Gazette/Rajpatra, Himachal Pradesh.

Amendment of Rule 16.

2. In rule 16 of the Himachal Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011 after sub-rule (5), the following sub-rule shall be added, namely :-

(6) " In order to ensure accurate verification and delivery of gold and

other precious metals to consumers, every retailer engaged in the sale of such commodities shall install and use a non automatic weighing instrument with verification scale interval (e) of 1 milligram (mg) on the premises. Such instruments shall be duly verified and stamped in accordance with the provisions of the applicable legal metrology laws and shall be employed for all transactions involving the weighment of gold or precious metals offered for sale to consumers.”

By order,

R. D. Nazeem
Additional Chief Secretary (F,CS&CA).
Himachal Pradesh Government

हिमाचल प्रदेश सरकार
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संख्या: एफ०डी०एस०–ए (3)-3 /2025 तारीख: शिमला-2 23 फरवरी , 2026

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के परामर्श के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०डी०एस०–ए (3)-1/2004-लूज़, तारीख 15.11.2011 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र हिमाचल प्रदेश में तारीख 16.11.2011 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 का संशोधन का प्रस्ताव करते है पूर्वोक्त अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए और इन्हे जन साधारण की सूचना के लिए राजपत्र (ई- गजट) हिमाचल प्रदेश में एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

इन प्रारूप नियमों द्वारा संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को उक्त प्रारूप नियमों की बाबत कोई आक्षेप या सुझाव है/हैं तो वह उसे/उन्हें इन प्रारूप नियमों के राजपत्र (ई- गजट) , हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर निदेशक,

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, एस०डी०ए काम्प्लेक्स, ब्लॉक न०42, कसुम्पटी, शिमला-171009 को भेज सकेगा ;

उपरोक्त नियत अवधि के भीतर प्राप्त हुए आक्षेप (पों) या सुझाव (वों), यदि कोई हो/हों पर इन नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात:-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) संशोधन नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

नियम 16 का संशोधन

2. हिमाचल प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 के नियम 16 के उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"(6) उपभोक्ताओं को स्वर्ण एवं अन्य बहुमूल्य धातुओं का सही सत्यापन तथा परिदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, ऐसे सभी फुटकर विक्रेता जो इन वस्तुओं की बिक्री के व्यवसाय में संलग्न हैं , परिसर में 1 मिलीग्राम (एमजी) के सत्यापन पैमाना अन्तराल (ई) वाले गैर-स्वचालित बाट उपकरण की स्थापना एवं उपयोग करेंगे । ऐसे उपकरणों का लागू विधिक मापविज्ञान विधियाँ के उपबंधों के अनुसार सम्यक रूप से सत्यापित एवं स्टांपित किया जाएगा तथा उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु प्रस्तुत स्वर्ण अथवा अन्य बहुमूल्य धातुओं के बाट से सम्बंधित सभी संव्यवहार में इन्हीं बाट उपकरणों का उपयोग किया जाएगा।"

आदेश द्वारा

(आर.डी. नज़ीम)

अतिरिक्त मुख्य सचिव, (खा0ना0आ0 एंव उ0मा0)

हिमाचल प्रदेश सरकार